प्रथम अपीलीय प्राधिकार, आर.एस.आर.डी.सी. लि., जयपुर

अपील संख्या 33/2019

मैसर्स रवि इन्टरनेशनल

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – सीकर, आर.एस.आर.डी.सी.

प्रथम अपील प्राधिकारी – सुबोध मलिक (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – प्रतिनिधि श्री भवानी शंकर शर्मा
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट –सीकर आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :– 10.10.2019

1. यह है कि वर्तमान प्रथम अपील मैसर्स रवि इन्टरनेशनल द्वारा परियोजना निदेशक यूनिट सीकर द्वारा मेडिकल कॉलेज सीकर में सप्लाई एवं इन्स्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर की अल्कालीन एन.आई.टी. नम्बर 182/2019 – 20 दिनांक 18.09.2019 की प्री बिड मिटिंग दिनांक 25.09.2019 की मिटिंग मिनिट्स जो कि निविदा (बोली) के सम्बन्ध में जारी स्पष्टीकरण/ कार्यवाही विवरण के विरूद्व राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के अन्तर्गत दायर की गई।

2. यह है कि अपीलान्ट मैसर्स रवि इन्टरनेशनल द्वारा यह कथन किया गया कि प्री बिड मिटिंग में मैसर्स डेनियल फर्नीचर लिमिटेड जोधपुर के अतिरिक्त अन्य भावी बोली दाताओं द्वारा उठाये गए प्रश्नों के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक यूनिट – सीकर द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया कि निविदा के शर्त संख्या 6 में दिये गये स्पष्टीकरण समान प्रकृति के कार्य के मूल्य का 50 प्रतिशत या ज्यादा का अनुभव प्रमाण पत्र मॉगा गया है, यह अनुभव निविदा में वांछित सभी फर्नीचर की सप्लाई का होना चाहिए, केवल स्टील अलमीरा के कार्य का अनुभव को बोली लगाने की आर्हता के लिए योग्य नही माना गया है। उक्त स्पष्टीकरण से राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम की 2012 की धारा – 6 (1) एवं नियम – 13 के नियम 33 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना एस.ओ. 165 दिनांक 19.11.2015 की अवहेलना की गई है। अधिसूचना के क्लॉज – 2(1) के अन्तर्गत अनुसूचि के आईटम 57 स्टील फर्नीचर, कम्पयूटर फर्नीचर एवं ऑल टाईप बुडन फर्नीचर सम्मलित रूप से वर्णित होने के उपरान्त भी परियोजना निदेशक यूनिट – सीकर ने स्टील फर्नीचर में स्टील अलमीरा को अलग मानते हुए स्टील अलमीरा के अनुभव को आर्हता नही मानने का स्पष्टीकरण दिया जाना अधिनियम 2012 की धारा 6 (1) का उल्लंग्न कर भावी बोली दाताओं की प्रतिस्पर्धा अर्थात् बोली में सम्मलित होने से रोका गया है।

3. अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि परियेाजना निदेशक यूनिट – सीकर द्वारा निविदा की शर्त संख्या 5 के सन्दर्भ मे यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि बोली दाताओं को वांछित सभी प्रकार के फर्नीचर के सेम्पल देने होगे अन्यथा उनकी निविदा को स्वीकार नही किया जावेगा, दिया गया राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 6(1) का उल्लंघन है।

4. प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक यूनिट – सीकर द्वारा अपील का जवाब दिनांक 09.10.2019 को दिया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलान्ट को दी गई।

उभयपक्षकारान की सहमति से दिनांक 09.10.2019 को सुना गया अपीलान्ट की अपील एवं दस्तावेज तथा रेस्पोडेन्ट का प्रतिउत्तर एवं प्री बिड मीटिंग दिनांक 25.09.2019 को प्री बिड समिति द्वारा जारी स्पष्टीकरण का अवलोकन एवं परिशिलन किया गया प्री विड समिति द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण "निविदाकर्ता को एकल समान कार्य के लिये निविदा कीमत का 50 प्रतिशत अनुभव सभी फर्नीचर की सप्लाई के आधार पर देना होगा मात्र स्टील अलमीरा की सप्लाई का अनुभव मान्य नही होगा" निश्चित रूप से प्री विड समिति का यह स्पष्टीकरण भावी बोली दाताओं को बोली में सम्मलित करने से रोकेगा इसलिये प्री बिड समिति का स्पष्टीकरण अधिनियम 2012 की धारा – 6(1) के अनुकुल नही है, इसलिए प्री बिड समिति का स्पष्टीकरण निरस्त करते हुये आदेशित किया जाता है कि अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना एस.ओ. – 165 दिनांक 19.11.2015 के क्लॉज 2(1) में वर्णित एकल फर्नीचर की सप्लाई के अनुभव को शर्त संख्या 6 की पूर्ति करना माना जाये। जहॉ तक निविदा की बिन्दु संख्या – 5 के सन्दर्भ में प्री बिड समिति का स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में अपीलान्ट का कथन स्वीकार योग्य नही है, सभी प्रकार के फर्नीचर का सेम्पल मॉगा जाना क्रय करने वाली संस्था के स्तर पर फर्नीचर का चयन किये जाने के लिए आवश्यक है।

अतः अपीलान्ट की अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनाक 10.10.2019 को जारी किया गया ।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,

(महाप्रबन्धक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।